

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर  
( जीसीएमएस न० 2019/00052)

प्रकरण संख्या :- 28/2019

उनवानी प्रकरण :-  
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ----- प्रार्थी।

बनाम

श्री शानू पुत्र श्री रसीदा जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी कसाईपाडा बाडी थाना  
बाडी जिला धौलपुर ----- अप्रार्थी।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज० गुण्डा  
नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-


- 1- प्रार्थी की ओर से :- सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।  
2- अप्रार्थी की ओर से :- श्री रामदीन गुर्जर अभिभाषक।



आदेश

दिनांक 28.01.2025

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना बाडी से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी श्री शानू पुत्र श्री रसीदा जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी कसाईपाडा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना बाडी पर कुल 4 प्रकरण दर्ज है जिनमें सभी मुकदमात में गैरसायल का चालान न्यायालय में पेश किया गया है। दो प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, शराब पीने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, शानू का स्वच्छन्द रहना जनता हित में ठीक नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध थाना बाडी पर दर्ज अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है। मु०न० 04/3.01.2019 धारा 143,323,341,325 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं० 76/2019 दिनांक 08.05.2019, मु०न० 10/11.01.2019 धारा 307 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट न०. 81/2019 दिनांक 14.05.2019, मु०न० 17/16.01.2019 धारा 323,341,504,336,354बी,34 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं० 77/2019 दिनांक 08.05.2019, मु०न० 29/24.01.2019 धारा 323,341,504,506,366,34 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं० 78/2019 दिनांक 08.05.2019 गैरसायल श्री शानू पुत्र रसीदा के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(1)(6)(8) की तारीफ में

  
जिला कलक्टर  
धौलपुर

आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल श्री शानू पुत्र रसीदा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री रामदीन गुर्जर अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है जो बाड़ी में मजदूरी कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। घटना के दिनांक से 6 माह के अन्दर समाज के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध की कोई शिकायत किसी भी थाने पर दर्ज नहीं की गई है। अप्रार्थी ने कभी भी शराब नहीं पी है और ना ही नसे का आदी हैं। अप्रार्थी ना ही कभी भी बदमाश व्यक्ति के साथ कभी भी सम्पर्क में नहीं रहा है ना ही किसी मुकदमों में दोष सिद्ध हुआ है। अप्रार्थी ने कभी भी चुनावों में कोई गडबडी नहीं की है और ना ही कभी भी बहु बेटियों के साथ छेडछाड की है। अप्रार्थी ने कभी भी किसी व्यक्ति को भयभीत किया है। अतः अप्रार्थी का जबाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति-4 एवं चार्जशीट की छायाप्रतियां-4 प्रस्तुत की।

अप्रार्थी ने अपने जबाब के समर्थन में एफआईआर 17/2019 निर्णय दिनांक 24.01.2024 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 बाड़ी, एफआईआर 29/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2020 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 बाड़ी, एफआईआर 10/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2024 न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बाड़ी जिला धौलपुर की प्रतियां प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध 04 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष 2019 में अप्रार्थी के विरुद्ध चार प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये हैं किन्तु अप्रार्थी अपनी आदतों से वाज नहीं आ रहा है। अप्रार्थी आदतन जुआ खेलना, खिलाने, शराब पीने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, अप्रार्थी शानू का स्वच्छन्द रहना जनता हित में ठीक नहीं है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर अप्रार्थी को जिलाबदर किया जावे।


अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नोटिस दिया गया है। अप्रार्थी कभी भी गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं रहा है। अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में 4 मुकदमें दर्ज होना बताया है। किन्तु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी को किसी भी प्रकरण में सजा हुई है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत स्वतंत्र गवाह का होना आवश्यक है किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में ना तो सरकारी गवाहों की गवाही कराई है और ना ही स्वतंत्र गवाहों की गवाही करायी है। अप्रार्थी सीधा साधा मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा बाडी में जो बाडी में मजदूरी कर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। एफआईआर 10/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2024 न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बाडी न्यायालय से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया गया है। एफआईआर 17/2019 निर्णय दिनांक 24.01.2024 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 बाडी न्यायालय से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया गया है। एफआईआर 29/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2020 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 बाडी न्यायालय से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया गया है। अप्रार्थी का आपराधिक विचारधारा प्रवृत्ति से कोई सरोकार नहीं रहा है न ही आम जनता में इनका कोई भय व्याप्त है। अप्रार्थी के खिलाफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम के अधीन कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए प्रेरित करता है, अप्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धाराओं के तहत न तो कोई दण्डनीय अपराध किया है न करने का अभ्यासी है।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो सम्प्रेषण ऑफ इम्पोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो। अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें उसे दोषी ठहराया जाये।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो राजस्थान आवकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अन्तर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो। अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत कोई प्रकरण न तो दर्ज हुआ है न ही उसे दोषी ठहराया गया है।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो अफीम अधिनियम 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अन्तर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो उक्त अधिनियम के तहत भी अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया गया है।

  
 जिला कलक्टर  
 धौलपुर

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया जाये। अप्रार्थी कभी भी उक्त अधिनियम के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो महिलाओं एवं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो। अप्रार्थी के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो हिंसात्मक कार्यों व बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यास पाया गया हो। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए गए हैं।

गुण्डा से अभिप्राय: ऐसे व्यक्ति से है जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शान्ति भंग करने अथवा बलवा करने का अभ्यास हो या जो बलपूर्वक चन्दे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्थ हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्थ हो। अप्रार्थी द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो कभी दंगा किया गया है न ही शान्ति भंग की गई है और न ही कोई उपद्रव या चन्दा संग्रह करने का काम किया गया है न ही दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी दी गई है। इस तरह का कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः अप्रार्थी किसी भी दृष्टि से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की परिभाषा में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदपि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण्ण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

“(आ) ‘‘गुण्डा’’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेषन ऑफ इमोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

जिला कलक्टर  
 धौलपुर

4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एनडीपीएस 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
6. महिलाओं एवं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :- किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:- मु0न0 04/3.01.2019 धारा 143,323,341,325 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं0 76/2019 दिनांक 08.05.2019, मु0न0 10/11.01.2019 धारा 307 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं0. 81/2019 दिनांक 14.05.2019, मु0न0 17/16.01.2019 धारा 323,341,504,336,354बी,34 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं0 77/2019 दिनांक 08.05.2019, मु0न0 29/24.01.2019 धारा 323,341,504,506,366,34 आईपीसी थाना बाडी चार्जशीट नं0 78/2019 दिनांक 08.05.2019 जिला धौलपुर दर्ज हैं।

इस प्रकार अप्रार्थी के विरुद्ध 04 मुकदमों दर्ज होना प्रार्थी ने बताया है किन्तु प्रार्थी यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उक्त मुकदमों में से कितने मुकदमों में अप्रार्थी बरी हो गया है तथा कितने अभी वर्तमान में विचाराधीन हैं। प्रार्थी व उसके विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा दस्तावेज (निर्णय) पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त 04 प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में अप्रार्थी को दोषी ठहराया गया हो। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एफआईआर 10/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2024 न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश बाडी न्यायालय से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया गया है। एफआईआर 17/2019 निर्णय दिनांक 24.01.2024 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 बाडी न्यायालय से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया गया है। एफआईआर 29/2019 निर्णय दिनांक 19.02.2020 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 बाडी न्यायालय से अप्रार्थी को दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार उक्त 04 प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में अप्रार्थी को दोषी ठहराया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज (निर्णय) पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत निरोधक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अप्रार्थी के विरुद्ध करने का उल्लेख पत्रावली पर प्राप्त नहीं

जिला कलक्टर  
 धौलपुर

है। उपरोक्त अभियोगों में अप्रार्थी के विरुद्ध दण्डादेश पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी को दोषी ठहराया गया नहीं माना जा सकता जिसके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार प्रकरण प्रारम्भ होने की तिथि 26.07.2019 से तुरन्त पूर्व 6 माह की अवधि में अप्रार्थी को प्रावधानाधीन उपबन्धों के अन्तर्गत दोषी नहीं पाया गया है और दोषी नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रतिबन्धित धाराओं के अन्तर्गत अप्रार्थी को "अभ्यस्थ" या "अभ्यासी" नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रतिबन्धित गतिविधि के सम्बन्ध में "प्रेरित करने" या "प्रयास करने" के दण्डादेश का उल्लेख भी पत्रावली पर नहीं है।

अप्रार्थी स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्थ है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी कार्यवाही अप्रार्थी के विरुद्ध करने का उल्लेख पत्रावली पर प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी को सम्प्रेरण ऑफ इम्पोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 के अधीन दोषी ठहराये जाने का सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है ना ही आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अप्रार्थी को कम से कम 2 बार दोषी ठहराया गया हो, इस प्रकार की कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अप्रार्थी को अफीम अधिनियम 1878 या एनडीपीएस एक्ट 1985 के अन्तर्गत भी अप्रार्थी को दोषी ठहराये जाने बावत अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 के अधीन अप्रार्थी को कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। पत्रावली पर ऐसा भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अप्रार्थी महिलाओं लड़कियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेड़ता पाया गया हो। पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अप्रार्थी हिंसात्मक कार्यों व बल प्रदर्शन द्वारा कानून पालन करने वालों को कष्ट देने का अभ्यासी हो। अप्रार्थी द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो कभी दंगा किया गया है न शान्ति भंग की गई है और न ही कोई उपद्रव या चन्दा संग्रह करने का काम किया गया है न ही दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी दी है। इस तरह का कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार एवं मनन करने पर अप्रार्थी के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अप्रार्थी शानू पुत्र श्री रसीदा जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी कसाईपाडा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद न होने से प्रार्थी की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(श्रीनिधि बी टी)  
 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट